

आमर उजाला

रियल एस्टेट के लिए अच्छा फैसला

इनकम टैक्स स्लैब को 5 लाख तक बढ़ाने का फैसला बहुत ही सकारात्मक कदम है। इसके अलावा, एक घर खरीदार जो लक्जरी सेगमेंट में घर खरीदना पसंद करता है, उसे आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत कैपिटल गेन के रोलओवर से लाभान्वित किया जाएगा। इस कदम से लक्जरी सेगमेंट में निवेश बढ़ेगा। - मनोज गौड़, एमडी गौर ग्रुप और वार्ड्स प्रेसिडेंट, क्रेडाई नेशनल

